

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

क्र. 2388 / नातौ / प्रवर्तन / 2013

भोपाल, दिनांक 10-07-13

- :: आदेश :: -

म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के नियम 10 के उप नियम 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं एस. के. जैन नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) एतद् द्वारा संयुक्त नियंत्रक, समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) को उनकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, किसी त्रुटिकर्ता मिस्त्री अथवा व्यापारी अनुज्ञप्ति के संबंध में इस उप नियम के प्रावधान पालन करते हुए, अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु अधिकृत करता हूं।

(एस. के. जैन)

नियंत्रक

नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)

म.प्र. भोपाल

पृ. क्र. 2389 / नातौ / प्रवर्तन / 2013
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 10-07-13

1. संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त उप/सहायक नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त निरीक्षक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त शाखा (मुख्यालय) की ओर सूचनार्थ।
5. अधीक्षक/स्टेनो मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

(एस. के. जैन)

नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)

म.प्र. भोपाल